रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240380 CG-DL-E-17112022-240380

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5155] No. 5155] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

का.आ. 5381(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2022 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में पैरा 8 के उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(1) पूर्णकालिक निदेशक, जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक भी है, अपना सम्पूर्ण समय राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यालयों में लगाएगा और पांच वर्ष से अनिधक ऐसी प्रारंभिक अविध और ऐसी कुल अविध, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक अविध भी है, जो दस वर्ष की अनिधक अविध तक विस्तारित हो सकेगी, तक, जो केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।"

[ईफा. सं. 16/69/2014-बीओ-I] समीर शुक्ला, संयुक्त सचिव

7673 GI/2022 (1)

टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3793 तारीख 16 नवम्बर, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात का.आ. संख्या 3026(अ) तारीख 1 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services) NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2022

- **S.O.** 5381(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2022.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, in paragraph 8, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(1) A whole-time Director, including the Managing Director, shall devote his whole-time to the affairs of the nationalised bank and shall hold office for such initial term not exceeding five years and extendable up to a total period, including the initial term, not exceeding ten years, as the Central Government may, after consultation with the Reserve Bank, specify and shall be eligible for re-appointment.".

[eF. No. 16/69/2014-BO. I]

SAMEER SHUKLA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3793, dated the 16th November, 1970, and was last amended *vide* number S.O. 3026(E), dated the 1st July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 17 नवम्बर. 2022

- का.आ. 5382(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम. 1980 में और संशोधन करने के लिए. निम्नलिखित स्कीम बनाती है. अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2022 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में पैरा 8 के उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-
- "(1) पूर्णकालिक निदेशक, जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक भी है, अपना सम्पूर्ण समय राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यालयों में लगाएगा और पांच वर्ष से अनिधक ऐसी प्रारंभिक अविध और ऐसी कुल अविध, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक अविध भी है, जो दस वर्ष की अनिधक अविध तक विस्तारित हो सकेगी, तक, जो केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।"

[ईफा. सं. 16/69/2014-बीओ-I]

समीर शुक्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 875(अ) तारीख 4 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात का.आ. संख्या 3027(अ) तारीख 1 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2022

- **S.O.** 5382(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2022.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, in paragraph 8, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(1) A whole-time Director, including the Managing Director, shall devote his whole-time to the affairs of the nationalised bank and shall hold office for such initial term not exceeding five years and extendable up to a total period, including the initial term, not exceeding ten years, as the Central Government may, after consultation with the Reserve Bank, specify and shall be eligible for re-appointment.".

[eF. No. 16/69/2014-BO. I] SAMEER SHUKLA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* notification number S.O.875 (E), the dated 4th November, 1980, and was last amended *vide* number S.O. 3027(E), dated the 1st July, 2022.